

(८) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का पृथक साक्षात्कार—(१) जब उपर्युक्त

उप-कंडिका (ख) या (ग) या (घ) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा से अन्यथा सीधी भर्ती करनी हो, तो अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार उस दिन या चयन समिति की उस बैठक में किया जायगा जिस दिन या जिस बैठक में सामान्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं करना हो, ताकि अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने में सामान्य उम्मीदवारों से उनको तुलना न की जा सके। तथा साक्षात्कार प्राधिकार/बोर्ड अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों में उम्मीदवारों का वैधित्यपूर्ण मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन करने की आवश्यकता से भी भाति अवगत हो।

(१) साक्षात्कार के साथ परीक्षा के जरिये की गई सीधी भर्ती में भी, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार उपर्युक्त उप-कंडिका (१) में बताई गई सामान्य जाति से पृथक दिन या चयन समिति की बैठक के दिन किया।

(च) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की तदर्थ नियुक्ति— यदि उपर्युक्त उप-कंडिका

(क), (ख) या (ग) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार चयन के लिए आवेदन किसी आरक्षित रिक्ति को भरना आवश्यक हो, तो उद्यम ऐसी आरक्षित रिक्ति में, यथास्थिति, अनुसूचित जन-जातियों या अनुसूचित जातियों के उपर्युक्त उम्मीदवारों की तदर्थ नियुक्ति कर सकता है।

१०। आरक्षणों का अग्रणी और व्यपगत होना— यदि किसी वर्ष विशेष में आरक्षित रिक्तियों के लिए

सम्बन्धित वर्गों से कोई उपयुक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, तो उस वर्ष के दौरान ऐसी रिक्तियां अनारक्षित रिक्तियों के रूप में मानी और भरी जायेगी किन्तु आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारियों से परिष्ठ पंक्ति के प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की भर्ती की संख्या में जो कमी रह गई हो उसको उस वर्ष अग्रणीत किया जायेगा। आरक्षण के अंतिम रूप से व्यपगत हो जाने के पूर्व भर्ती के पश्चात् तीन भर्ती वर्षों तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की संख्या में ऐसी भर्ती में जो कमी रही हो उसे अग्रणीत किया जायेगा। किन्तु किसी भी भर्ती वर्ष में सामान्य आरक्षित रिक्तियों और अग्रणीत रिक्तियों की संख्या मिलकर कुल रिक्तियों के ४५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। फिर भी, यदि मात्र दो ही रिक्तियां हो, तो उनमें से एक को आरक्षित रिक्ति माना जायेगा। ४५ प्रतिशत से फाजिल जो रिक्तियां होंगी उनको भर्ती के पश्चात् भर्ती वर्ष में अग्रणीत किया जायेगा, बशर्त कि जो खास रिक्तियां अग्रणीत की जाए वे तीन वर्ष से अधिक हो जाने के कारण कालावधि न हों। जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियां केवल सम्बद्ध समुदाय के लिए आरक्षित मानी जाती रहे, वहां जिस वर्ष रिक्ति अग्रणीत की जाय उसके तीसरे वर्ष में भी यदि वह रिक्ति अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से न भरी जा सकती हो तो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के बारे में विचार किया जायेगा। ऐसी रिक्ति को, जो तृतीय वर्ष में अग्रणीत की गई हो, विज्ञापित या अधिमूर्चित करते समय विज्ञापन/अध्यपेक्षा में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि रिक्ति अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित है, किन्तु अनुसूचित जातियों के उपर्युक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार भी नियुक्ति के पात्र होंगे। यह व्यवस्था अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में भी उसी प्रकार लागू होगी।

११। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए छूट और रियायतें—(१) उच्च-सीमा अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की दृष्टि में ऐसी किसी सेवा में या पदों पर नियुक्ति के लिए विहित अधिकतम उच्च-सीमा ५ वर्ष तक बढ़ा दी जायगी।

(२) मानदण्ड को शिथिल करना— यदि परीक्षा के जरिए या अन्यथा सीधी भरती के मामले में अनुसूचित

जातियों/जन-जातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्ड के आधार पर उक्त जातियों के उम्मीदवार काफी संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के उम्मीदवारों को चुना

जा सकता है, बशर्ते कि वे ऐसे पद या पदों के लिए अयोग्य न पाये जायें। दूसरे शब्दों में, जिस हद तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य मानदण्ड के आधार पर भरी न जा सकी हो उस हद तक इन समुदायों के उम्मीदवारों को मानदण्ड शिथिल करके ले लिया जायेगा ताकि आरक्षित कोटा की कमी को पूरा किया जा सके, बशर्ते कि वे उम्मीदवार उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य हों। यदि परीक्षा के जरिये भर्ती की जाय और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार सामान्य मानदण्ड के अनुसार आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो उन उम्मीदवारों को, जिन्होंने कुल अंकों का कम-से-कम ३३।३ प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो, आरक्षित कोटा की कमी को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

१२। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के दावे की जांच — नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार होने के दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों में से किसी एक को पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं :—

- (१) प्रवेशिका या विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र या जन्म का प्रमाण-पत्र, जिसमें उम्मीदवार की जाति या समुदाय और निवास स्थान दिया रहे।
- (२) परिशिष्ट झ में उल्लिखित किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।

यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों का कोई उम्मीदवार किसी विहित प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र पेश करने में असमर्थ हो तो वह अपने दावे के समर्थन में जो भी प्रथम हस्तया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे, उसी के आधार पर औपबन्धिक रूप से उसकी नियुक्ति की जायेगी, किन्तु उसको समुचित समय के भीतर इस आशय का एक विहित प्रमाण-पत्र देना हो या यदि उसे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कोई वास्तविक कठिनाई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी संबंध जिला मजिस्ट्रेट के जरिये उसके दावे की जांच स्वयं कर लेंगे।

नियुक्ति प्राधिकारी, यदि किसी कारणवश यह आवश्यक समझे तो वह वहां के जिला मजिस्ट्रेट के जरिये उम्मीदवार के दावे की जांच कर सकता है, जहां वह उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्यतः रहता हो। यदि किसी खास मामले में जांच से यह पता चले कि उम्मीदवार का दावा गलत है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

१३। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की परिभाषा और सूचियां — अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के रूप में घोषित समुदायों की एक सूची परिशिष्ट 'ट' में दी गई है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो हिन्दू या सिख धर्म से भिन्न कोई धर्म मानता हो, अनुसूचित जातियों का सदस्य नहीं माना जायेगा। अनुसूचित जातियों के किसी व्यक्ति के अधिकार उसकी धार्मिक आस्था से अलग है।

यदि अनुसूचित जातियों का कोई व्यक्ति बौद्ध या कोई अन्य धर्म ग्रहण कर ले तो वह उस जाति का सदस्य नहीं रह जायेगा। ऐसा व्यक्ति आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए या अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए दी गई अन्य सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।

लेकिन यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों का कोई व्यक्ति गैर-अनुसूचित जातियों / जन-जातियों में विवाह कर ले, तो भी वह उस जाति का सदस्य समझा जाता रहेगा।

ऐसे उस मामले को जिसमें यह संदेह उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति / जन-जाति का है या नहीं कार्मिक विभाग को निर्देश किया जाय।

सम्पर्क पदाधिकारी

१४। हरेक उपक्रम में, प्रशासन के प्रभारी पदाधिकारी (या इसके प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट कोई अन्य पदाधिकारी) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित मामलों के बारे में सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे खास तौर से निम्न के बारे में जिम्मेवार होंगे :—

- (i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के बारे में आदेशों और अनुदेशों के उचित पालन और उसे निदेश के अनुसार उनको अनुमान्य अन्य लाभों को सुनिश्चित करना ।
- (ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी एकत्र करना, समेकित करना तथा भेजना ।
- (iii) उपक्रम और सम्बद्ध विभाग के बीच सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करना, अन्य जानकारी देना, प्रश्नों तथा पृच्छाओं का उत्तर देना तथा इन आदेशों के जरिये सम्बद्ध विषयों के बारे में संदेह दूर करना ।

आपकी कम्पनी के लिए नियुक्त सम्पर्क पदाधिकारी का नाम इस विभाग को संसूचित किया जाय । सम्पर्क पदाधिकारी के नियन्त्रणाधीन एक ऐसा कोष्ठ (सेल), जिसमें उपयुक्त संख्या में सहायक रहेंगे, का भी गठन किया जाय ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की शिकायतों और अभिवेदनों पर तुरत सुनिश्चित तौर पर निपटारा किया जा सके जो कोष्ठ (सेल) मुख्यतः सम्पर्क पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का कारगर ढंग से संपादन करने में सहायता करेगा ।

५। यह देखने के लिए कार्रवाई की जाय कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के सेवा अभिलेख और निजी संचिकाएं सभी प्रकार से पूर्ण है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार उन्हें यह जानकारी भी दी रहे कि उन पर लागू होनेवाले नियमों का लाभ उनको मिल सकता है ।

६। अनुरोध है कि इस निदेश के उपबन्धों को लागू करने के लिए तुरत कार्रवाई की जाय ।

परिशिष्ट 'क'

आरक्षण का प्रतिफल

क्रम सं०।

प्रमंडल एवं जिला का नाम।

अनुसूचित जाति।

अनुसूचित जन-जाति।

१	२	३	४
	<u>पटना प्रमण्डल</u>	१४	शून्य
१	पटना	१४	शून्य
२	गया	१४	शून्य
३	शाहाबाद	१४	शून्य
	<u>तिरहुत प्रमण्डल</u>	१४	शून्य
४	सारण	११	शून्य
५	बम्पारन	१४	शून्य
६	मुजफ्फरपुर	१४	शून्य
७	दरभंगा	१४	शून्य
	<u>भागलपुर प्रमण्डल</u>	१२	१०
८	मुंगेर	१४	२
९	भागलपुर	१२	७
१०	सहरसा	१४	२
११	पुर्णिया	१२	५
१२	संथाल परगना	६	२२
	<u>छोटानागपुर प्रमण्डल</u>	१०	१६
१३	हजारीबाग	११	१०
१४	रांची	४	३०
१५	पलामू	१४	१०
१६	धनबाद	१४	१०
१७	सिन्धुभूम	३	२४

पदों की खेती	वर्ष के दरमियान	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण	अभ्युक्तिता
खेती १, २, ३, ४ (मिहतर खेती-४ में न रहे जायें। इनके सम्बन्ध में अलग से विवरण दिया जाय।)	भरे गए कुल पद। पिछले वर्ष की अगनीत रिक्तियां।	रिपोर्ट गत वर्ष में वर्ग में आरक्षित रिक्तियों की संख्या।	ऐसी आरक्षित रिक्तियां जिन पर गैर-अनुसूचित जातियों के लोग नियुक्त किये गए।
	१	२	३
खेती—१	५	६	७
खेती—२	८	९	१०
खेती—३	११	१२	१३
खेती—४	१४	१५	१६

परिच्छेद 'अ'

प्रपञ्च—१

विभाग/कार्यालय का नाम

१९.... वर्ष में की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में विवरण ।

पदों की श्रेणी	अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षण					अभिव्यक्ति				
श्रेणी १, २, ३, ४ (सहृदय श्रेणी ४ में न रखे जायें। इनके सम्बन्ध में अलग से विवरण दिया जाय)	वर्ष के दर- वियाव भरे गए कुल पद ।	पिछले वर्ष की अवसीत रिक्तियां ।	रिपोर्ट में वर्ष में आर- क्षित रिक्तियों की संख्या ।	रिपोर्ट में वर्ष में नियुक्त होने वाले अनुसूचित जन- जातियों के व्यक्तियों की संख्या ।	व्यपगत रिक्तियों का संख्या ।	ऐसी आरक्षित रिक्तियों में पर नैर-अनुसूचित जन- जातियों के लोग नियुक्त किये गए ।	कृपया बताएं कि कितने कारणों से अनुसूचित जन- जातियों के लिये आरक्षित पद पर नैर-अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया । क्या इसके लिये सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ।			
१	२	३	४	५	६	७	८			

श्रेणी—१

श्रेणी—२

श्रेणी—३

श्रेणी—४

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये शोचनीय अन्तर्गत वर्ग—३३ दिवस तक की स्थिति ।

श्रेणी का नाम	प्रोत्पत्ति के बाद उपलब्ध की पदों संख्या ।	अनुसूचित जनजातियों के लिये उपलब्ध पदों की संख्या ।	अनुसूचित जनजातियों के लिये उपलब्ध पदों की संख्या ।	अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये उपलब्ध पदों की संख्या ।	अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये उपलब्ध पदों की संख्या ।	अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये उपलब्ध पदों की संख्या ।	अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये उपलब्ध पदों की संख्या ।	अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये उपलब्ध पदों की संख्या ।

परिशिष्ट 'अ'

नियोजनालय में रिक्तियों की अधिसूचना के लिए फारम।

१. नियोजक का नाम और पता—

२. नियोजन की टेलिफोन संख्या, यदि हो

३. रिक्ति का स्वरूप—

(क) पदनाम

(ख) कर्तव्यों का विवरण

(ग) अपेक्षित अर्हताएँ

(i) अत्यावश्यक

(ii) वांछनीय

(घ) आयु-सीमा, यदि हो,

(ङ.) क्या महिलाएँ इसके लिये पात्र हैं ?

४. रिक्तियों की संख्या

५. अस्थायी या स्थायी

६. वेतन तथा भत्ते

७. कार्य स्थान (शहर/गाँव तथा जिला का नाम जहाँ यह अवस्थित है)।

८. यदि स्थानान्तरित होने योग्य है तो वह क्षेत्र जहाँ स्थानान्तरण संभव है।

९. किस संभावित तारीख तक रिक्ति की पूर्ति हो जानी चाहिए

१०. आवेदकों के साक्षात्कार / जांचसम्बन्धी विवरण—

(क) साक्षात्कार/जांच की तारीख

(ख) साक्षात्कार/जांच का समय

(ग) साक्षात्कार/जांच का स्थान

(घ) उस व्यक्ति का पदनाम तथा पता जिनके पास आवेदकों को रिपोर्ट करनी चाहिये

११. क्या रिक्तियाँ भरने में व्यक्तियों की किसी कोटी को प्राथमिकता देने के लिए कोई बाध्यता या प्रबंध है ?

१२. अरिक्त रिक्तियों की संख्या—

(क) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए

(ख) अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए

१३. कोई अन्य सुझाव सूचना।

परिशिष्ट 'झ'

निम्नलिखित पदाधिकारियों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार होने के समर्थन में प्रमाण-पत्र देने का आदेश है :—

- (१) जिला दण्डाधिकारी
- (२) अवर प्रमंडल पदाधिकारी
- (३) परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी/तथा सहायक परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी
- (३) प्रखंड विकास पदाधिकारी
- (५) अंचल अधिकारी
- (६) अंचल पदाधिकारी
- (७) प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी
- (८) जिला कल्याण पदाधिकारी
- (९) अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी

परिशिष्ट 'ट'

अनुसूचित जाति की सूची

१. सारे राज्य में—

- (१) बाइरी, (२) बातरा, (३) भीमता, (४) बमार या मोची- (५) चौपाल, (६) घोडी, (७) डोम या घांगर
(८) दुसाध, धाड़ी या घाड़ी (९) घासी, (१०) हलालखोर, (११) हाड़ी, मेहतर या भंगी, (१२) कंजर,
(१३) कुरियाड़, (१४) लालबेगी, (१५) दबगर, (१६) मुसहर (१७) मट, (१८) पान या सबासी, (१९)
पासी, (२०) रजवार, (२१) तूरी ।

२. पटना और तिरहुत डिविजन और मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया और पटना जिलों में 'भूमिवन्ध',

३. पटना, गया, शाहाबाद और पटना जिलों में भुइयाँ

अनुसूचित जन-जाति की सूची

१. सारे राज्य में :—

- (१) अमर, (२) बैगा, (२) (क) बनबारा, (३) बखूदी, (४) बेदिगा, (५) बिझिया, (६) बोरहोर, (७) बोरजिया,
(७) बेरी, (८) बीर बराईक, (१०) गोंड, (११) गोड़ईत, (१२) हो, (१३) करमासी, (१४) लडिया, (१५)
खरवार, (१६) खोंद, (१७) किसान, (१८) कोड़, (१९) कोरवा, (२०) लोहारा या लोहरा, (२१) मछली, (२२)
माल पहाड़िया, (२३) मुंडा, (२४) उरांव, (२५) परहे, (२६) संतान, (२७) सोरिया पहाड़िया, (२८) खबर ।
(२) रांची, निहनुमि, हजारीबाग, गयालपरगना और घनबाद जिलों में 'भूमित्व'

बिहार सरकार

कानिक् विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमण्डलायुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी ।

२६ श्रावण, १८९५ (श०)

पट-भा-१५, दिनांक —————

१७ अगस्त, १९७७ ।

विषय— १९७१ की जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित ज.जातियों की दिखलाई गई जनसंख्या के आधार पर सेवाओं में इन जातियों के लिए आरक्षण के प्रतिपात का पुनरीक्षण।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे उपयुक्त विषयक संकल्प संख्या का १३०४, दिनांक १० अप्रैल, १९७३ (प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कक्षा है कि टंकण भूय के कारण विवरणी १ एवं विवरणी २ में कई अनुद्धियां हो गई हैं जिन्हें निम्न रूप से शुद्ध किया जाय :—

विवरणी ९

			अनुसूचित जाति ।	अनुसूचित जन-जाति ।
भागलपुर प्रमंडल			१२	१०
		विवरण २		
हजारीबाग			२८	२२
मिरिडीह			२८	२२
धनबाद			३०	२०
सिंहभूम			४	४६

२. जैसा कि आपको ज्ञात है, निपुणतायां रोस्टर को ध्यान में रखते हुए करनी है। आरक्षण के प्रतिशत के पुनरीक्षण के फलस्वरूप नया रोस्टर तैयार किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। विवरणी (क) रोस्टर विवरणी एक में दिखायाये गये प्रतिशत के आधार पर तैयार किया गया है।

३. उपयुक्त संकल्प की कड़िका ३ में कहा गया है कि जबतक अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य उनके लिए निर्धारित प्रतिशत का अनुपात हासिल नहीं कर लेते हैं तबतक उनके लिए तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों की रिक्तियों का ५० प्रतिशत आरक्षित रहेगा। विवरणी (ख) रोस्टर राज्य स्तर पर की जानेवाली नियुक्तियों के संबंध में तैयार किया गया है एवं विवरणी (ग) रोस्टर मंडलों एवं जिलों में होनेवाली नियुक्तियों (विवरणी २) के संबंध में तैयार किया गया है। राज्य स्तर पर होनेवाली नियुक्तियों के लिये रोस्टर की परिपत्र संख्या ३/एस २-१४३/७०-४६९-नि०, दिनांक १२ जनवरी, १९७१ द्वारा पहले ही आपको भेज दी गई है तो भी एक प्रति (विवरणी घ) संलग्न है।

४. इस पत्र की प्रति अपने सभी अधीनस्थ नियुक्ति पदाधिकारियों को मार्गदर्शन के लिए भेज दी जाय और उनसे अनुरोध किया जाय कि रोस्टर को ध्यान में रखकर ही नियुक्तियाँ करें। उनका ध्यान नियुक्ति विभाग के पत्र संख्या १३४२८, दिनांक ११ नवम्बर, १९५८ की ओर भी आकर्षित किया जाए जिसमें कहा

२९ कामिक—१६

मेया है कि अगर आरक्षित पदों पर गैर-समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति की जायगी और उसके लिए पर्याप्त कारण न रहेंगे तो सम्बन्धित नियुक्ति पदाधिकारी को निन्दन की सजा दी जायगी। नियुक्ति विभाग के पत्र सं० नि० वि०-१३२८३, दिनांक ६ अगस्त, १९७० के अनुसार अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि आरक्षित पद पर गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार को नियुक्त करना आवश्यक हो जाए तो कार्मिक विभाग की पूर्व सम्मति से ही नियुक्ति की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

गोविन्द मेहता,

सरकार के उप-सचिव।

शप संख्या... ..

पटना-५५, दिनांक... जून, १९७३।

प्रतिनिधि—अनुसूचित की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार/सचिव, बिहार लोक-सेवा आयोग/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् एवं कार्मिक विभाग के सभी प्रत्याजा पदाधिकारियों को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यापे प्रेषित।

गोविन्द मेहता,

सरकार के उप-सचिव।

सं० ५३०५-का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

संकल्प

१० अप्रिल १९७३

विषय—१९७१ की जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की रिहलाई गई जनसंख्या के आधार पर सेवाओं में इन जातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत का पुनरीक्षण।

राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण संबंधी राज्य सरकार की नीति नियुक्ति विभाग के संकल्प संख्या III ३-ए०—६-५०-ए०—६९०८, दिनांक १३ नवम्बर, १९५३ में विनिहित की गई थी। इस संकल्प के अनुसार राज्य सरकार ने १९५१ की जनगणना के आधार पर यह विनिश्चय किया था कि दिन पदों पर राज्य आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों की जाती हैं उनका साढ़े १२ प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए और १० प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी। फिर १९६१ की जनगणना के आधार पर संकल्प संख्या १९८६७, दिनांक २२ नवम्बर, १९७० द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण साढ़े १२ प्रतिशत से बढ़ कर १४ प्रतिशत कर दिया गया एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत पूर्ववत् १० ही रखा गया। अब १९७१ की जनगणना के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यद्यपि अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का ८.७५ प्रतिशत ही है तथापि उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत पूर्ववत् १० प्रतिशत ही रहेगा, क्योंकि सेवा में इनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में १९६१ की तुलना में १९७१ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए उनके लिए निर्धारित १४ प्रतिशत ही बालू रहेगा।

२. प्रमंडलों एवं जिलों में होनेवाली रिक्तियों के सम्बन्ध में १९५३ में १९५१ की जनगणना के आधार पर एक विशेष क़ामूना द्वारा प्रत्येक प्रमंडल एवं जिले के लिए अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित किया गया था। १९६१ की जनगणना के आधार पर इस प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब यह निश्चय किया गया है कि आरक्षण का प्रतिशत यथासंभव १९७१ की जनगणना के अनुसार सम्बद्ध प्रमंडलों एवं जिलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्धारित किया जाय। तदनुसार प्रत्येक प्रमंडल एवं जिले के लिये संलग्न विवरणी १ में उल्लिखित प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

३. यह भी विनिश्चय किया गया है कि जब तक अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य उनके लिये निर्धारित प्रतिशत का अनुपात हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक उनके लिये तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों की रिक्तियों का ५० प्रतिशत आरक्षित रहेगा। राज्य आधार पर की जानेवाली नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जातियों के लिये ३० प्रतिशत और अनुसूचित जन-जातियों के लिये २० प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित रखी जायेंगी। जहाँ तक प्रमंडलों एवं जिलों का प्रश्न है विवरणी २ में उल्लिखित प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

४. नियुक्ति विभाग के १९५३ के उपयुक्त संकल्प के अनुसार जिस प्रमंडल या जिले में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या १ प्रतिशत से कम थी वहाँ आरक्षण का उपबन्ध नहीं था। अब यह विनिश्चय किया गया है कि अगर किसी प्रमंडल या जिले में उनकी जनसंख्या १,००० से कम हो तो वहाँ आरक्षण न रहेगा।

आदेश—अतः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/बिहार लोक-सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों/बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् को सूचनायें एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
गोविन्द मेहता,
सरकार के उप-सचिव।

जाप संख्या ३/एस-२-१०२४/७२-५३०५-का०

२० चैत, १९९५ (श०)
पटना-१५, दिनांक—
१० अप्रैल, १९७३।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् एवं कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अप्रसारित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
गोविन्द मेहता,
सरकार के उप-सचिव।

जाप संख्या ३/एस-२-१०२४/७२-का०-५३०५

पटना-१५, दिनांक १० अप्रैल, १९७३।

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशन के लिये अप्रसारित।

२. इसकी ५०० अतिरिक्त प्रतियाँ कार्मिक विभाग को सीधे भेज दी जायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
गोविन्द मेहता,
सरकार के उप-सचिव।

विवरणी १

प्रारक्षित प्रतिशत

क्रम संख्या	प्रमण्डल एवं जिले का नाम ।	अनुसूचित जाति ।	अनुसूचित जन-जाति ।
१	२	३	४
	पटना प्रमंडल	२०	१
१	पटना ...	१७	१
२	नालन्दा ...	१७	शून्य
३	गया ...	२५	१
४	औरंगाबाद	२५	शून्य
५	नवादा ...	२५	१
६	शाहाबाद	१७	शून्य
७	रोहतास ...	१७	१
	तिरहुत प्रमंडल	१४	१
८	सारन	११ $\frac{1}{2}$	१
९	सीवान ...	११ $\frac{1}{2}$	शून्य
१०	पूर्वी चम्पारण	१४ $\frac{1}{2}$	शून्य
११	पश्चिमी चम्पारण ...	१४ $\frac{1}{2}$	१
१२	मुजफ्फरपुर	१६	शून्य
१३	सीतामढ़ी ...	१६	शून्य
१४	बैतली ...	१६	शून्य
१५	दरभंगा	१५	शून्य
१६	समस्तीपुर ...	१५	शून्य
१७	मधुबनी	१५	शून्य
	सहरसा प्रमंडल	१५	३
१८	पूर्णिवा ...	११ $\frac{1}{2}$	४
१९	सहरसा ...	१७	१
२०	बेगूसराय ...	१५ $\frac{1}{2}$	शून्य
	भागलपुर प्रमंडल	१२	१०
२१	मुंगेर ...	१५ $\frac{1}{2}$	२
२२	भागलपुर ...	११	४
२३	संवाल परगना ...	८	३६ $\frac{1}{2}$
	छोटानागपुर प्रमंडल	११	३१
२४	हजारीबाग ...	१२ $\frac{1}{2}$	११
२५	गिरिडीह ...	१२ $\frac{1}{2}$	११
२६	रांची	५	४१
२७	पलामू ...	२५ $\frac{1}{2}$	२०
२८	धनबाद ...	१५ $\frac{1}{2}$	११
२९	सिन्धुभूम	४	४५

विवरणी २
आरक्षित प्रतिशत

क्रम संख्या	प्रमंडल एवं जिले का नाम	अनुसूचित जाति ।	अनुसूचित जन-जाति ।
१	२	३	४
	पटना प्रमण्डल	४८	२
१	पटना	४८	२
२	नालन्दा	५०	शून्य
३	मया	४८	२
४	बौरंगाबाद	५०	शून्य
५	नवादा	५०	शून्य
६	शाहाबाद	५०	शून्य
७	रोहतास	४७	३
	तिरहुत प्रमण्डल	४८	२
८	सारन	४८	२
९	सीवान	५०	शून्य
१०	पूर्वी चम्पारण	५०	शून्य
११	पश्चिमी चम्पारण	४७	३
१२	मुजफ्फरपुर	५०	शून्य
१३	सीतामढ़ी	५०	शून्य
१४	बैशाली	५०	शून्य
१५	दरभंगा	५०	शून्य
१६	समस्तीपुर	५०	शून्य
१७	मधुबनी	५०	शून्य
	सहरसा प्रमण्डल	४४	६
१८	पूणिया	४२	८
१९	सहरसा	४८	२
२०	बेगूसराय	५०	शून्य
	भागलपुर प्रमण्डल	३०	२०
२१	मुंगेर	४६	४
२२	भागलपुर	४२	८
२३	संथालपरगना	१०	४०
	छोटानागपुर प्रमण्डल	१४	३६
२४	हजारीबाग	२८	२२
२५	गिरिडीह	२८	२२
२६	रांची	५	४५
२७	पलामू	२८	२२
२८	धनबाद	३०	२०
२९	सिंहभूम	४	४६

विवरणी (क)

ग्रामण्डलों एवं जिलों में होनेवाली नियुक्तियों के लिए रोस्टर ।

पटना प्रमण्डल

अनुसूचित जातियां २० प्रतिशत		अनुसूचित जातियां—१० पद	
अनुसूचित जन-जातियां—१ प्रतिशत		अनुसूचित जन-जातियां— $\frac{1}{3}$ पद अर्थात् १	
१ अनुसूचित जातियां	२६—२९	अनारक्षित	
२—५ अनारक्षित	३०	अनुसूचित जातियां	
६ अनुसूचित जातियां	३१—३४	अनारक्षित	
७—१० अनारक्षित	३५	अनुसूचित जातियां	
११ अनुसूचित जन-जातियां	३६—३९	अनारक्षित	
१२—१४ अनारक्षित	४०	अनुसूचित जातियां	
१५ अनुसूचित जातियां	४१—४४	अनारक्षित	
१६—१९ अनारक्षित	४५	अनुसूचित जातियां	
२० अनुसूचित जातियां	४६—४९	अनारक्षित	
२१—२४ अनारक्षित	५०	अनुसूचित जातियां	
२५ अनुसूचित जातियां			

पटना

अनुसूचित जातियां—१७ प्रतिशत		अनुसूचित जातियां—८ $\frac{1}{2}$ पद अर्थात् ९	
अनुसूचित जन-जातियां—१ प्रतिशत		अनुसूचित जन-जातियां— $\frac{1}{3}$ पद अर्थात् ११	
१ अनुसूचित जातियां	२५	अनुसूचित जातियां	
२—५ अनारक्षित	२६—२९	अनारक्षित	
६ अनुसूचित जातियां	३०	अनुसूचित जातियां	
७—१० अनारक्षित	३१—३४	अनारक्षित	
११ अनुसूचित जन-जातियां	३५	अनुसूचित जातियां	
१२—१४ अनारक्षित	३७—३९	अनारक्षित	
१५ अनुसूचित जातियां	४०	अनुसूचित जातियां	
१६—१९ अनारक्षित	४१—४४	अनारक्षित	
२० अनुसूचित जातियां	४५	अनुसूचित जातियां	
२१—२४ अनारक्षित	४६—५०	अनारक्षित	

नालन्दा

अनुसूचित जातियां—१७ प्रतिशत		अनुसूचित जातियां—८ $\frac{1}{2}$ पद अर्थात् ९	
अनुसूचित जन-जातियां—न्यून		अनुसूचित जन-जातियां—न्यून	
१ अनुसूचित जातियां	२६—२९	अनारक्षित	
२—५ अनारक्षित	३०	अनुसूचित जातियां	
६ अनुसूचित जातियां	३१—३४	अनारक्षित	
७—१४ अनारक्षित	३५	अनुसूचित जातियां	
१५ अनुसूचित जातियां	३७—३९	अनारक्षित	
१६—१९ अनारक्षित	४०	अनुसूचित जातियां	
२० अनुसूचित जातियां	४१—४४	अनारक्षित	
२१—२४ अनारक्षित	४५	अनुसूचित जातियां	
२५ अनुसूचित जातियां	४६—५०	अनारक्षित	

बीरगाबाद

अनुसूचित जातियाँ—२५ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—१२½ पद
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
अर्थात् १३।

- १ अनुसूचित जातियाँ
१—४ अनारक्षित
५ अनुसूचित जातियाँ
६—८ अनारक्षित
९ अनुसूचित जातियाँ
१०—१२ अनारक्षित
१३ अनुसूचित जातियाँ
१४—१६ अनारक्षित
१७ अनुसूचित जातियाँ
१८—२० अनारक्षित
२१ अनुसूचित जातियाँ
२२—२४ अनारक्षित
२५ अनुसूचित जातियाँ

- २६—२८ अनारक्षित
२९ अनुसूचित जातियाँ
३०—३२ अनारक्षित
३३ अनुसूचित जातियाँ
३४—३६ अनारक्षित
३७ अनुसूचित जातियाँ
३८—४० अनारक्षित
४१ अनुसूचित जातियाँ
४२—४४ अनारक्षित
४५ अनुसूचित जातियाँ
४६—४८ अनारक्षित
४९ अनुसूचित जातियाँ

५।

अनुसूचित जातियाँ—२५ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—१ प्रतिशत

अनुसूचित जातियाँ—१२½ पद
अर्थात् १३ पद।
अनुसूचित जन-जातियाँ—½ पद
अर्थात् १ पद।

- १ अनुसूचित जातियाँ
२—४ अनारक्षित
५ अनुसूचित जातियाँ
६—८ अनारक्षित
९ अनुसूचित जातियाँ
१०—११ अनारक्षित
१२ अनुसूचित जन-जातियाँ
१३ अनुसूचित जातियाँ
१४—१६ अनारक्षित
१७ अनुसूचित जातियाँ
१८—२० अनारक्षित
२१ अनुसूचित जातियाँ
२२—२४ अनारक्षित

- २५ अनुसूचित जातियाँ
२६—२८ अनारक्षित
२९ अनुसूचित जातियाँ
३०—३२ अनारक्षित
३३ अनुसूचित जातियाँ
३४—३६ अनारक्षित
३७ अनुसूचित जातियाँ
३८—४० अनारक्षित
४१ अनुसूचित जातियाँ
४२—४४ अनारक्षित
४५ अनुसूचित जातियाँ
४६—४८ अनारक्षित
४९ अनुसूचित जातियाँ

नवादा

अनुसूचित जातियाँ—२५ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—१ प्रतिशत
अनुसूचित जातियाँ—१२½

अनुसूचित जन-जातियाँ—½
अर्थात् १

अर्थात् १३

गया के रोस्टर के सामान

साहाबाव

अनुसूचित जातियाँ—१७ प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
अनुसूचित जातियाँ— $\frac{1}{2}$ अर्थात् ९

अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
तालन्दा के रोस्टर के अनुसार

रोहतास

अनुसूचित जातियाँ—१७ प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
अनुसूचित जातियाँ— $\frac{1}{2}$ अर्थात् ९

अनुसूचित जातियाँ— $\frac{1}{2}$ अर्थात्
१ पद।
पटना के रोस्टर के अनुसार

तिरहुत प्रमंडल

अनुसूचित जातियाँ—१४ प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियाँ—१ प्रतिशत

अनुसूचित जातियाँ—७ पद
अनुसूचित जनजातियाँ— $\frac{1}{2}$ पद
अर्थात् १ पद

१ अनुसूचित जातियाँ
२-६ अनारक्षित
७ अनुसूचित जातियाँ
८-१२ अनारक्षित
१३ अनुसूचित जातियाँ
१४-१९ अनारक्षित
२० अनुसूचित जातियाँ
२१-२५ अनारक्षित

२६ अनुसूचित जातियाँ
२७-३१ अनारक्षित
३२ अनुसूचित जातियाँ
३३-३७ अनारक्षित
३७ अनुसूचित जातियाँ
३९-४३ अनारक्षित
४४ अनुसूचित जातियाँ
४५-५० अनारक्षित

मुजफ्फरपुर

अनुसूचित जातियाँ—१६ प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—८ पद
अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य

१ अनुसूचित जातियाँ
२-६ अनारक्षित
७ अनुसूचित जातियाँ
८-१२ अनारक्षित
१३ अनुसूचित जातियाँ
१४-१९ अनारक्षित
२० अनुसूचित जातियाँ
२१-२५ अनारक्षित

२६ अनुसूचित जातियाँ
२७-३१ अनारक्षित
३२ अनुसूचित जातियाँ
३३-३७ अनारक्षित
३८ अनुसूचित जातियाँ
३९-४३ अनारक्षित
४४ अनुसूचित जातियाँ
४५-५० अनारक्षित

बैशाली

अनुसूचित जातियाँ—१६ प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
अनुसूचित जातियाँ—८

अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
रोस्टर मुजफ्फरपुर के समान

सीलामकी

अनुसूचित जातियाँ—१६ प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
अनुसूचित जातियाँ—८

अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
रोस्टर बैंगाली के समान

पूर्वी चम्पारण

अनुसूचित जातियाँ—१४.१/२ प्रतिशत
अनुसूचित जातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—७.१/४ अर्थात् ७
अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य

१ अनुसूचित जातियाँ
२—७ अनारक्षित
८ अनुसूचित जातियाँ
९—१४ अनारक्षित
१५ अनुसूचित जातियाँ
१६--२१ अनारक्षित
२२ अनुसूचित जातियाँ

२३--२८ अनारक्षित
२९ अनुसूचित जातियाँ
३०--३५ अनारक्षित
३६ अनुसूचित जातियाँ
३७--४३ अनारक्षित
४४ अनुसूचित जातियाँ
४५--५० अनारक्षित

पश्चिमी चम्पारण

अनुसूचित जातियाँ—१४.१/२ प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियाँ—१ प्रतिशत
अनुसूचित जातियाँ—७.१/४ अर्थात् ७

अनुसूचित जनजातियाँ—१/२
अर्थात्—१
रोस्टर तिरहुत प्रमंडल के अनुसार

दरभंगा

अनुसूचित जातियाँ—१५ प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
अनुसूचित जातियाँ—७.१/२ अर्थात् ८

अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
रोस्टर मुजफ्फरपुर के समान

सीवान

अनुसूचित जनजातियाँ—११.१/२ प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—५.१/२ अर्थात् ६
अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य

१ अनुसूचित जातियाँ
२—९ अनारक्षित
१० अनुसूचित जातियाँ
११--१९ अनारक्षित
२० अनुसूचित जातियाँ
२१--२५ अनारक्षित

२६ अनुसूचित जातियाँ
२७--३४ अनारक्षित
३५ अनुसूचित
३६--४४ अनारक्षित
४५ अनुसूचित जातियाँ
४६--५० अनारक्षित

सारण

अनुसूचित जातियाँ—११ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत
 अनुसूचित जनजातियाँ—१
 १ अनारक्षित
 २ अनारक्षित
 ३ अनुसूचित जनजातियाँ
 ४—९ अनारक्षित
 १० अनुसूचित जातियाँ
 ११—१९ अनारक्षित
 २० अनुसूचित जातियाँ

अनुसूचित जातियाँ—५ $\frac{1}{2}$ अर्थात् ६
 अनुसूचित जनजातियाँ— $\frac{1}{2}$ अर्थात् १
 २१—२५ अनारक्षित
 २६ अनुसूचित जातियाँ
 २७—३४ अनारक्षित
 ३५ अनुसूचित जातियाँ
 ३६—४४ अनारक्षित
 ४५ अनुसूचित जातियाँ
 ४६—५० अनारक्षित

समस्तीपुर

अनुसूचित जातियाँ—१५ प्रतिशत
 अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
 अनुसूचित जातियाँ—७ $\frac{1}{2}$ अर्थात् ८

अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
 रोस्टर मुजफ्फरपुर के समान

मधुबनी

अनुसूचित जातियाँ—१५ प्रतिशत
 अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
 अनुसूचित जातियाँ—७ $\frac{1}{2}$ अर्थात् ८

अनुसूचित जनजातियाँ—शून्य
 रोस्टर मुजफ्फरपुर के समान

सहरसा प्रमंडल

अनुसूचित जातियाँ—१५ प्रतिशत
 अनुसूचित जनजातियाँ—३ प्रतिशत

अनुसूचित जातियाँ—७ $\frac{1}{2}$ पद
 अर्थात् ८।
 अनुसूचित जनजातियाँ—१ $\frac{1}{2}$ पद
 अर्थात् २।

१ अनुसूचित जातियाँ
 २—६ अनारक्षित
 ७ अनुसूचित जातियाँ
 ८ अनुसूचित जनजातियाँ
 ९—१२ अनारक्षित
 १३ अनुसूचित जातियाँ
 १४—१९ अनारक्षित
 २० अनुसूचित जातियाँ
 २१—२५ अनारक्षित
 २६ कामिक—१७

२६ अनुसूचित जातियाँ
 २७—३१ अनारक्षित
 ३२ अनुसूचित जातियाँ
 ३३—३७ अनारक्षित
 ३८ अनुसूचित जातियाँ
 ३९—४३ अनारक्षित
 ४४ अनुसूचित जातियाँ
 ४५ अनुसूचित जनजातियाँ
 ४६—५० अनारक्षित

सहरसा

अनुसूचित जातियाँ—१७ प्रतिशत
 अनुसूचित जनजातियाँ—१ प्रतिशत
 अनुसूचित जातियाँ—८ $\frac{1}{2}$ पद
 अर्थात् ९।

अनुसूचित जनजातियाँ— $\frac{1}{2}$ पद।
 अर्थात् १।
 रोस्टर पटना के अनुसार।

पूणिया

अनुसूचित जातियां—११ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियां—४ प्रतिशत

- १ अनुसूचित जातियां
२—५ अनारक्षित
६ अनुसूचित जनजातियां
७—९ अनारक्षित
१० अनुसूचित जातियां
११—१९ अनारक्षित
२० अनुसूचित जातियां
२१—२९ अनारक्षित

अनुसूचित जातियां—५३/४ अर्थात्

६ पद।

अनुसूचित जनजातियां—२ पद

- ३० अनुसूचित जातियां
३१—३४ अनारक्षित
३५ अनुसूचित जनजातियां
३६ अनुसूचित जातियां
३७—४५ अनारक्षित
४६ अनुसूचित जातियां
४७—५० अनारक्षित

मेरुसराय

अनुसूचित जातियां—१५ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियां—शून्य

अनुसूचित जातियां—७३ पद

अर्थात् ८

अनुसूचित जनजातियां—शून्य

रोस्टर मुजफ्फरपुर के अनुसार।

भावलपुर प्रसंगल

अनुसूचित जातियां—१२

अनुसूचित जनजातियां—१० प्रतिशत

- १ अनुसूचित जातियां
२ अनुसूचित जनजातियां
३—५ अनारक्षित
६ अनुसूचित जातियां
७—९ अनारक्षित
१० अनुसूचित जातियां
११ अनुसूचित जनजातियां
१२—१९ अनारक्षित
२० अनुसूचित जातियां

अनुसूचित जातियां—६ पद

अनुसूचित जनजातियां—५ पद

- २१ अनुसूचित जनजातियां
२२—२९ अनारक्षित
३० अनुसूचित जातियां
३१ अनुसूचित जनजातियां
३२—३५ अनारक्षित
३६ अनुसूचित जातियां
३७—४५ अनारक्षित
४६ अनुसूचित जनजातियां
४७—५० अनारक्षित

भावलपुर

अनुसूचित जातियां—११ प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियां—४ प्रतिशत

अनुसूचित जातियां—५ $\frac{1}{2}$

अर्थात्—६

अनुसूचित जनजातियां—२

रोस्टर पूणिया के समान।

अनुसूचित जातियां—८ प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियां—३६ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत

- १ अनुसूचित जातियां
- २ अनुसूचित जनजातियां
- ३-४ अनारक्षित
- ५ अनुसूचित जनजातियां
- ६ अनारक्षित
- ७ अनुसूचित जनजातियां
- ८ अनारक्षित
- ९ अनुसूचित जनजातियां
- १० अनारक्षित
- ११ अनुसूचित जनजातियां
- १२ अनारक्षित
- १३ अनुसूचित जनजातियां
- १४ अनारक्षित
- १५ अनुसूचित जनजातियां
- १६ अनारक्षित
- १७ अनुसूचित जनजातियां
- १८ अनारक्षित
- १९ अनुसूचित जनजातियां
- २० अनारक्षित
- २१ अनुसूचित जातियां
- २२ अनारक्षित
- २३ अनुसूचित जनजातियां

अनुसूचित जातियां—४

अनुसूचित जनजातियां—१८ $\frac{1}{2}$

अर्थात्—१८।

- २४ अनारक्षित
- २५ अनुसूचित जनजातियां
- २६ अनारक्षित
- २७ अनुसूचित जनजातियां
- २८ अनारक्षित
- २९ अनुसूचित जनजातियां
- ३० अनारक्षित
- ३१ अनुसूचित जातियां
- ३२-३३ अनारक्षित
- ३४ अनुसूचित जनजातियां
- ३५ अनारक्षित
- ३६ अनुसूचित जनजातियां
- ३७ अनारक्षित
- ३८ अनुसूचित जनजातियां
- ३९ अनारक्षित
- ४० अनुसूचित जनजातियां
- ४१-४४ अनारक्षित
- ४५ अनुसूचित जनजातियां
- ४६-४७ अनारक्षित
- ४८ अनुसूचित जनजातियां
- ४९-५० अनारक्षित

मुंघेर

अनुसूचित जातियां—१५ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियां—२

- १ अनुसूचित जातियां
- २-५ अनारक्षित
- ६ अनुसूचित जनजातियां
- ७-१४ अनारक्षित
- १५ अनुसूचित जातियां
- १६-१९ अनारक्षित
- २० अनुसूचित जातियां
- २१-२४ अनारक्षित
- २५ अनुसूचित जातियां

अनुसूचित जातियां—७ $\frac{1}{2}$

अर्थात् ८

अनुसूचित जनजातियां—१

- २६-२९
- ३० अनुसूचित जातियां
- ३१-३४ अनारक्षित
- ३५ अनुसूचित जातियां
- ३६-३९ अनारक्षित
- ४० अनुसूचित जातियां
- ४१-४४ अनारक्षित
- ४५ अनुसूचित जातियां
- ४६-५० अनारक्षित

छोटानागपुर प्रमंडल

अनुसूचित जातियां—११ प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियां—३१ प्रतिशत

अनुसूचित जातियां—५.३

अर्थात् ६१

अनुसूचित जनजातियां—१५.३

अर्थात् १६

- १ अनुसूचित जनजातियां
- २ अनुसूचित जातियां
- ३-४ अनारक्षित
- ५ अनारक्षित
- १० अनुसूचित जातियां
- ११-१२ अनारक्षित
- १३ अनुसूचित जनजातियां
- १४-१५ अनारक्षित
- १६ अनुसूचित जनजातियां
- १७-१८ अनारक्षित
- १९ अनुसूचित जातियां
- २० अनारक्षित
- २१ अनुसूचित जनजातियां
- २२ अनारक्षित
- २३ अनुसूचित जनजातियां
- २४ अनारक्षित
- २५ अनुसूचित जनजातियां
- २६ अनुसूचित जातियां
- २७ अनुसूचित जनजातियां
- २८-२९ अनारक्षित

- ५ अनुसूचित जनजातियां
- ६-७ अनारक्षित
- ८ अनुसूचित जनजातियां
- ३० अनुसूचित जनजातियां
- ३१-३२ अनारक्षित
- ३३ अनुसूचित जनजातियां
- ३४ अनारक्षित
- ३५ अनुसूचित जातियां
- ३६-३७ अनारक्षित
- ३८ अनुसूचित जनजातियां
- ३९-४० अनारक्षित
- ४१ अनुसूचित जनजातियां
- ४२-४३ अनारक्षित
- ४४ अनुसूचित जातियां
- ४५ अनारक्षित
- ४६ अनुसूचित जनजातियां
- ४७ अनारक्षित
- ४८ अनुसूचित जनजातियां
- ४९ अनारक्षित
- ५० अनुसूचित जनजातियां

हजारीबाग जिला

अनुसूचित जातियां—१२.३ प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियां—११ प्रतिशत

अनुसूचित जातियां—६.३

अर्थात् ६

अनुसूचित जनजातियां—५.३

अर्थात् ६

- १ अनुसूचित जातियां
- २ अनुसूचित जनजातियां
- ३-८ अनारक्षित
- ९ अनुसूचित जातियां
- १० अनुसूचित जनजातियां
- ११-१६ अनारक्षित
- १७ अनुसूचित जातियां
- १८ अनुसूचित जनजातियां
- १९-२५ अनारक्षित

- २६ अनुसूचित जातियां
- २७ अनुसूचित जनजातियां
- २८-३३ अनारक्षित
- ३४ अनुसूचित जातियां
- ३५ अनुसूचित जनजातियां
- ३६-४१ अनारक्षित
- ४२ अनुसूचित जातियां
- ४३ अनुसूचित जनजातियां
- ४४-५० अनारक्षित

गिरीडीह

अनुसूचित जातियां—१२½ प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियां—११ प्रतिशत

अनुसूचित जातियां—६½

अर्थात् ६।

रांची

अनुसूचित जातियां—५ प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियां—४५ प्रतिशत

- १ अनुसूचित जनजातियां
- २ अनारक्षित
- ३ अनुसूचित जातियां
- ४ अनारक्षित
- ५ अनुसूचित जनजातियां
- ६ अनारक्षित
- ७ अनुसूचित जनजातियां
- ८ अनारक्षित
- ९ अनुसूचित जनजातियां
- १० अनुसूचित जनजातियां
- ११ अनारक्षित
- १२ अनुसूचित जातियां
- १३ अनारक्षित
- १४ अनुसूचित जनजातियां
- १५ अनारक्षित
- १६ अनुसूचित जनजातियां
- १७ अनारक्षित
- १८ अनुसूचित जनजातियां
- १९ अनारक्षित
- २० अनुसूचित जनजातियां
- २१ अनारक्षित
- २२ अनुसूचित जनजातियां
- २३ अनारक्षित
- २४ अनुसूचित जनजातियां
- २५ अनारक्षित
- २६ अनुसूचित जनजातियां
- २७ अनारक्षित
- २८ अनुसूचित जनजातियां
- २९ अनारक्षित
- ३० अनुसूचित जनजातियां
- ३१-३२ अनारक्षित
- ३३ अनुसूचित जनजातियां
- ३४ अनारक्षित

अनुसूचित जनजातियां—५½

अर्थात् ६।

रोस्टर हजारीबाग के समान।

अनुसूचित जातियां—२½

अर्थात् ३।

अनुसूचित जनजातियां—२२½

अर्थात् २२।

- १० अनारक्षित
- ११ अनुसूचित जनजातियां
- १२ अनारक्षित
- १३ अनुसूचित जनजातियां
- १४ अनारक्षित
- १५ अनुसूचित जनजातियां
- १६ अनारक्षित
- १७ अनुसूचित जनजातियां
- १८ अनारक्षित
- ३५ अनुसूचित जनजातियां
- ३६ अनुसूचित जातियां
- ३७-३८ अनारक्षित
- ३९ अनुसूचित जनजातियां
- ४० अनारक्षित
- ४१ अनुसूचित जनजातियां
- ४२ अनारक्षित
- ४३ अनुसूचित जनजातियां
- ४४ अनारक्षित
- ४५ अनुसूचित जनजातियां
- ४६ अनारक्षित
- ४७ अनुसूचित जनजातियां
- ४८ अनारक्षित
- ४९ अनुसूचित जनजातियां
- ५० अनारक्षित

अनुसूचित जातियां—२५ $\frac{1}{2}$
अनुसूचित जनजातियां—२०

- १ अनुसूचित जातियां
- २ अनुसूचित जनजातियां
- ३-४ अनारक्षित
- ५ अनुसूचित जातियां
- ६ अनारक्षित
- ७ अनुसूचित जनजातियां
- ८ अनारक्षित
- ९ अनुसूचित जातियां
- १० अनारक्षित जातियां
- ११ अनुसूचित जातियां
- १२ अनुसूचित जनजातियां
- १३-१४ अनारक्षित
- १५ अनुसूचित जातियां
- १६ अनारक्षित
- १७ अनुसूचित जनजातियां
- १८ अनारक्षित
- १९ अनुसूचित जातियां
- २० अनारक्षित
- २१ अनुसूचित जातियां
- २२ अनुसूचित जनजातियां
- २३-२४ अनारक्षित

अनुसूचित जातियां—१२ $\frac{1}{2}$
अर्थात् १३।
अनुसूचित जनजातियां—१०

- २६ अनुसूचित जातियां
- २७ अनुसूचित जनजातियां
- २८-२९ अनारक्षित
- ३० अनुसूचित जातियां
- ३१ अनारक्षित
- ३२ अनुसूचित जनजातियां
- ३३-३४ अनारक्षित
- ३५ अनुसूचित जातियां
- ३६ अनारक्षित
- ३७ अनुसूचित जनजातियां
- ३८ अनारक्षित
- ३९ अनुसूचित जातियां
- ४० अनुसूचित जनजातियां
- ४१ अनुसूचित जातियां
- ४२ अनुसूचित जनजातियां
- ४३-४४ अनारक्षित
- ४५ अनुसूचित जातियां
- ४६ अनारक्षित
- ४७ अनुसूचित जनजातियां
- ४८-४९ अनारक्षित
- ५० अनुसूचित जनजातियां

धनबाद

अनुसूचित जाति—१५ $\frac{1}{2}$
अनुसूचित जनजातियां—११ प्रतिशत

- १ अनुसूचित जातियां
- २ अनुसूचित जनजातियां
- ३-७ अनारक्षित
- ८ अनुसूचित जातियां
- ९ अनुसूचित जनजातियां
- १०-१४ अनारक्षित
- १५ अनुसूचित जातियां
- १६-२० अनारक्षित
- २१ अनुसूचित जातियां
- २२-२६ अनारक्षित
- २७ अनुसूचित जनजातियां
- २८-३२ अनारक्षित
- ३३ अनुसूचित जनजातियां
- ३४-३८ अनारक्षित

(३०) सिमरन

अनुसूचित जाति—७ $\frac{1}{2}$
अर्थात् ८।
अनुसूचित जनजातियां—५ $\frac{1}{2}$
अर्थात् ६।

- ६ अनुसूचित जनजातियां
- १०-१२ अनारक्षित
- १३ अनुसूचित जातियां
- १४-१६ अनारक्षित
- १७ अनुसूचित जातियां
- १८-२२ अनारक्षित
- २३ अनुसूचित जनजातियां
- २४-२६ अनारक्षित
- २७ अनुसूचित जातियां
- २८ अनारक्षित
- २९ अनुसूचित जातियां
- ३० अनुसूचित जनजातियां

सिंहपुर

अनुसूचित जातियाँ—४ प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियाँ—४५ प्रतिशत

- १ अनुसूचित जनजातियाँ
- २ अनारक्षित
- ३ अनुसूचित जातियाँ
- ४ अनारक्षित
- ५ अनुसूचित जनजातियाँ
- ६ अनारक्षित
- ७ अनुसूचित जनजातियाँ
- ८ अनारक्षित
- ९ अनुसूचित जनजातियाँ
- १० अनारक्षित
- ११ अनुसूचित जनजातियाँ
- १२ अनारक्षित
- १३ अनुसूचित जनजातियाँ
- १४ अनारक्षित
- १५ अनुसूचित जनजातियाँ
- १६ अनारक्षित
- १७ अनुसूचित जनजातियाँ
- १८ अनारक्षित
- १९ अनुसूचित जनजातियाँ
- २० अनारक्षित
- २१ अनुसूचित जनजातियाँ
- २२ अनारक्षित
- २३ अनुसूचित जातियाँ
- २४ अनारक्षित
- २५ अनुसूचित जनजातियाँ

अनुसूचित जातियाँ—२

अनुसूचित जनजातियाँ—२२½

अर्थात् २३।

- २६ अनुसूचित जनजातियाँ
- २७ अनारक्षित
- २८ अनुसूचित जनजातियाँ
- २९ अनारक्षित
- ३० अनुसूचित जनजातियाँ
- ३१ अनारक्षित
- ३२ अनुसूचित जनजातियाँ
- ३३ अनारक्षित
- ३४ अनुसूचित जनजातियाँ
- ३५ अनारक्षित
- ३६ अनुसूचित जनजातियाँ
- ३७ अनारक्षित
- ३८ अनुसूचित जनजातियाँ
- ३९ अनारक्षित
- ४० अनुसूचित जनजातियाँ
- ४१ अनारक्षित
- ४२ अनुसूचित जनजातियाँ
- ४३ अनारक्षित
- ४४ अनुसूचित जनजातियाँ
- ४५ अनारक्षित
- ४६ अनारक्षित
- ४७ अनुसूचित जनजातियाँ
- ४८ अनारक्षित
- ४९ अनुसूचित जनजातियाँ
- ५० अनारक्षित

विबरजी (ब)

राज्य स्तर पर होनेवाली नियुक्तियों के लिए आरक्षण के कोटा में कमी को पूरा करने के लिए रोस्टर।

(केवल श्रेणी ३ ए' श्रेणी ४ के लिए)

अनुसूचित जातियाँ ३० प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियाँ—२० प्रतिशत

- १ अनुसूचित जातियाँ
- २ अनारक्षित
- ३ अनुसूचित जनजातियाँ
- ४ अनारक्षित
- ५ अनुसूचित जातियाँ
- ६ अनारक्षित
- ७ अनुसूचित जातियाँ
- ८ अनारक्षित
- ९ अनुसूचित जनजातियाँ

अनुसूचित जातियाँ—१५ पद।

अनुसूचित जनजातियाँ—१० पद

- १० अनुसूचित जातियाँ
- ११ अनारक्षित
- १२ अनुसूचित जनजातियाँ
- १३ अनारक्षित
- १४ अनुसूचित जातियाँ
- १५ अनारक्षित
- १६ अनुसूचित जातियाँ
- १७ अनारक्षित
- १८ अनुसूचित जनजातियाँ

- १९ अनारक्षित
२० अनुसूचित जातियां
२१ अनारक्षित
२२ अनुसूचित जनजातियां
२३ अनारक्षित
२४ अनुसूचित जातियां
२५ अनारक्षित
२६ अनुसूचित जातियां
२७ अनारक्षित
२८ अनुसूचित जनजातियां
२९ अनारक्षित
३० अनारक्षित
३१ अनुसूचित जनजातियां
३२ अनारक्षित
३३ अनुसूचित जातियां
३४ अनारक्षित

- ३५ अनारक्षित
३६ अनुसूचित जातियां
३७ अनारक्षित
३८ अनुसूचित जनजातियां
३९ अनारक्षित
४० अनुसूचित जातियां
४१ अनारक्षित
४२ अनुसूचित जातियां
४३ अनारक्षित
४४ अनुसूचित जनजातियां
४५ अनारक्षित
४६ अनुसूचित जातियां
४७ अनुसूचित जातियां
४८ अनारक्षित
४९ अनुसूचित जनजातियां
५० अनारक्षित

विवरणी (ग)

प्रमंडल एवं जिला स्तर पर होनेवाली नियुक्तियों के लिए आरक्षण की कमी को पूरा करने के लिए रोस्टर

पटना प्रमंडल

अनुसूचित जातियां—४८ प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियां—२ प्रतिशत

- १ अनुसूचित जातियां
२-३ अनारक्षित
४ अनुसूचित जनजातियां
५ अनुसूचित जातियां
६ अनारक्षित
७ अनुसूचित जातियां
८ अनारक्षित
९ अनुसूचित जातियां
१० अनारक्षित
११ अनुसूचित जातियां
१२ अनारक्षित
१३ अनुसूचित जातियां
१४ अनारक्षित
१५ अनुसूचित जातियां
१५ अनुसूचित जातियां
१६ अनारक्षित
१७ अनुसूचित जातियां
१८ अनारक्षित
१९ अनुसूचित जातियां
२० अनारक्षित
२१ अनुसूचित जातियां
२२ अनारक्षित
२३ अनुसूचित जातियां
२४ अनारक्षित
२५ अनुसूचित जातियां

अनुसूचित जातियां—

अनुसूचित जनजातियां—१ पद

- २६ अनुसूचित जातियां
२७ अनारक्षित
२८ अनुसूचित जातियां
२९ अनारक्षित
३० अनुसूचित जातियां
३१ अनारक्षित
३२ अनुसूचित जातियां
३३ अनारक्षित
३४ अनुसूचित जातियां
३५ अनारक्षित
३६ अनुसूचित जातियां
३७ अनारक्षित
३८ अनुसूचित जातियां
३९ अनारक्षित
४० अनुसूचित जातियां
४१ अनारक्षित
४२ अनुसूचित जातियां
४३ अनारक्षित
४४ अनुसूचित जातियां
४५ अनारक्षित
४६ अनुसूचित जातियां
४७ अनारक्षित
४८ अनारक्षित
४९ अनुसूचित जातियां
५० अनारक्षित

नावादा

अनुसूचित जातियाँ—५० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—२५ पद
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
नालन्दा जिले के रोस्टर के समान ।

शाहाबाद

अनुसूचित जातियाँ—५० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—२५ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
नालन्दा जिले के रोस्टर के समान ।

रोहतास

अनुसूचित जातियाँ—४७ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—३

अनुसूचित जातियाँ—२३ $\frac{1}{2}$ अर्थात् २४ ।
अनुसूचित जन-जातियाँ—१ $\frac{1}{2}$ अर्थात् २ ।

- १ अनुसूचित जातियाँ
- २ अनारक्षित
- ३ अनुसूचित जातियाँ
- ४ अनारक्षित
- ५ अनुसूचित जातियाँ
- ६ अनारक्षित
- ७ अनुसूचित जातियाँ
- ८ अनारक्षित
- ९ अनुसूचित जातियाँ
- १० अनारक्षित
- ११ अनुसूचित जातियाँ
- १२ अनारक्षित
- १३ अनुसूचित जातियाँ
- १४ अनारक्षित
- १५ अनुसूचित जातियाँ
- १६ अनारक्षित
- १७ अनुसूचित जातियाँ
- १८ अनारक्षित
- १९ अनुसूचित जातियाँ
- २० अनारक्षित
- २१ अनुसूचित जातियाँ
- २२ अनारक्षित
- २३ अनुसूचित जातियाँ
- २४ अनारक्षित
- २५ अनुसूचित जातियाँ

- २६ अनुसूचित जन जातियाँ
- २७ अनारक्षित
- २८ अनुसूचित जातियाँ
- २९ अनुसूचित जन जातियाँ
- ३० अनारक्षित
- ३१ अनुसूचित जातियाँ
- ३२ अनारक्षित
- ३३ अनुसूचित जातियाँ
- ३४ अनारक्षित
- ३५ अनुसूचित जातियाँ
- ३६ अनारक्षित
- ३७ अनुसूचित जातियाँ
- ३८ अनारक्षित
- ३९ अनुसूचित जातियाँ
- ४० अनारक्षित
- ४१ अनुसूचित जातियाँ
- ४२ अनारक्षित
- ४३ अनुसूचित जातियाँ
- ४४ अनारक्षित
- ४५ अनुसूचित जातियाँ
- ४६ अनारक्षित
- ४७ अनुसूचित जातियाँ
- ४८ अनारक्षित
- ४९ अनुसूचित जातियाँ
- ५० अनारक्षित

तिरहुत प्रमंडल

अनुसूचित जातियाँ—४८ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—२ प्रतिशत

अनुसूचित जातियाँ—२४ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—१
पटना प्रमंडल के रोस्टर के समान ।

सारण

अनुसूचित जातियाँ—४८ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—२ प्रतिशत

अनुसूचित जातियाँ—२४
अनुसूचित जन-जातियाँ—१
पटना प्रमंडल के रोस्टर के समान ।

२. पटना

अनुसूचित जातियाँ—४८ प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियाँ—२ प्रतिशत
अनुसूचित जातियाँ—२४ पद।

अनुसूचित जन जातियाँ—१ पद
रोस्टर पटना प्रमंडल के समान।

३. नालन्दा

अनुसूचित जातियाँ—५० प्रतिशत
अनुसूचित जन जातियाँ—शून्य
१ अनुसूचित जातियाँ
२ अनारक्षित
३ अनुसूचित जातियाँ
४ अनारक्षित
५ अनुसूचित जातियाँ
६ अनारक्षित
७ अनुसूचित जातियाँ
८ अनारक्षित
९ अनुसूचित जातियाँ
१० अनारक्षित
११ अनुसूचित जातियाँ
१२ अनारक्षित
१३ अनुसूचित जातियाँ
१४ अनारक्षित
१५ अनुसूचित जातियाँ
१६ अनारक्षित
१७ अनुसूचित जातियाँ
१८ अनारक्षित
१९ अनुसूचित जातियाँ
२० अनारक्षित
२१ अनुसूचित जातियाँ
२२ अनारक्षित
२३ अनुसूचित जातियाँ
२४ अनारक्षित
२५ अनुसूचित जातियाँ

अनुसूचित जातियाँ—२५ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
२६ अनुसूचित जातियाँ
२७ अनारक्षित
२८ अनुसूचित
२९ अनारक्षित
३० अनुसूचित जातियाँ
३१ अनारक्षित
३२ अनुसूचित जातियाँ
३३ अनारक्षित
३४ अनुसूचित जातियाँ
३५ अनारक्षित
३६ अनुसूचित जातियाँ
३७ अनारक्षित
३८ अनुसूचित जातियाँ
३९ अनारक्षित
४० अनुसूचित जातियाँ
४१ अनारक्षित
४२ अनुसूचित जातियाँ
४३ अनारक्षित
४४ अनुसूचित जातियाँ
४५ अनारक्षित
४६ अनारक्षित
४७ अनुसूचित जातियाँ
४८ अनारक्षित
४९ अनुसूचित जातियाँ
५० अनारक्षित

गया

अनुसूचित जातियाँ—४८ प्रतिशत
अनुसूचित जन जातियाँ—२ प्रतिशत

अनुसूचित जातियाँ—२४ पद
अनुसूचित जन-जातियाँ—१ पद
पटना प्रमंडल के रोस्टर के समान।

औरंगाबाद

अनुसूचित जातियाँ—५० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—२५ पद
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
नालन्दा जिले के रोस्टर के समान।

सीवान

अनुसूचित जातियाँ—५० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—२५
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
मालन्दा के रोस्टर के समान ।

पूर्वी चम्पारण

अनुसूचित जातियाँ—५०
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—२५
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
मालन्दा के रोस्टर के समान ।

पश्चिमी चम्पारण

अनुसूचित जातियाँ—४७ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—३ प्रतिशत
अनुसूचित जातियाँ—२३½ अर्थात् २४ ।

अनुसूचित जन-जातियाँ—१ १/२ अर्थात् २
रोहतास के रोस्टर के समान ।

मुजफ्फरपुर

अनुसूचित जातियाँ—५० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—२५
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
मालन्दा के रोस्टर के समान ।

सीतामढ़ी

अनुसूचित जातियाँ—५० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—२५
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
मालन्दा के रोस्टर के समान ।

बैशाली

अनुसूचित जातियाँ—५० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—२५
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
मालन्दा के रोस्टर के समान ।

दरभंगा

अनुसूचित जातियाँ—५० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य

अनुसूचित जातियाँ—२५
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
मालन्दा के रोस्टर के समान ।

समस्तीपुर

अनुसूचित जातियाँ—५० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
अनुसूचित जातियाँ—२५

अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
मालन्दा के रोस्टर के समान ।

मधुबनी

अनुसूचित जातियाँ—५० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
अनुसूचित जातियाँ—२५

अनुसूचित जन-जातियाँ—शून्य
मालन्दा के रोस्टर के समान ।

- २५ अनुसूचित जातियां
२६ अनारक्षित
२७ अनुसूचित जातियां
२८ अनारक्षित
२९ अनुसूचित जातियां
३० अनारक्षित
३१ अनुसूचित जातियां
३२ अनारक्षित
३३ अनुसूचित जातियां
३४ अनारक्षित
३५ अनुसूचित जातियां
३६ अनारक्षित
३७ अनुसूचित जातियां

- ३८ अनारक्षित
३९ अनुसूचित जातियां
४० अनारक्षित
४१ अनुसूचित जातियां
४२ अनारक्षित
४३ अनुसूचित जातियां
४४ अनारक्षित
४५ अनुसूचित जातियां
४६ अनारक्षित
४७ अनुसूचित जातियां
४८ अनारक्षित
४९ अनुसूचित जातियां
५० अनारक्षित

सहरसा

अनुसूचित जातियां - ४८ प्रतिशत
अनुसूचित-जन जातियां - २ प्रतिशत
अनुसूचित जातियां - २५

अनुसूचित जन-जातियां - १
रोस्टर पटना प्रमंडल के समान ।

बेगूसराय

अनुसूचित जातियां - ५० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियां - शून्य
अनुसूचित जातियां - २५

अनुसूचित जन-जातियां - शून्य
नालन्दा के रोस्टर के समान ।

भागलपुर प्रमंडल

अनुसूचित जातियां - ३० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियां - २० प्रतिशत

अनुसूचित जातियां - १५
अनुसूचित जन-जातियां - १

- १ अनुसूचित जातियां
२ अनारक्षित
३ अनुसूचित जन-जातियां
४ अनारक्षित
५ अनुसूचित-जातियां
६ अनारक्षित
७ अनुसूचित जन-जातियां
८ अनारक्षित
९ अनुसूचित जातियां
१० अनारक्षित
११ अनुसूचित जातियां
१२ अनारक्षित
१३ अनुसूचित जन-जातियां
१४ अनारक्षित
१५ अनुसूचित जातियां
१६ अनारक्षित
१७ अनुसूचित जन-जातियां
१८ अनारक्षित
१९ अनुसूचित जातियां

- २० अनारक्षित
२१ अनुसूचित जातियां
२२ अनारक्षित
२३ अनुसूचित जन-जातियां
२४ अनारक्षित
२५ अनुसूचित जातियां
२६ अनारक्षित
२७ अनुसूचित जन-जातियां
२८ अनारक्षित
२९ अनुसूचित जातियां
३० अनारक्षित
३१ अनुसूचित जातियां
३२ अनारक्षित
३३ अनुसूचित जन-जातियां
३४ अनारक्षित
३५ अनुसूचित जातियां
३६ अनारक्षित
३७ अनुसूचित जन-जातियां
३८ अनारक्षित

- ३९ अनुसूचित जातियां
४० अनारक्षित
४१ अनुसूचित जातियां
४२ अनारक्षित
४३ अनुसूचित जन-जातियां
४४ अनारक्षित

अनुसूचित जातियां—४६ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियां—४ प्रतिशत

- १ अनुसूचित जातियां
२ अनारक्षित
३ अनुसूचित जन-जातियां
४ अनारक्षित
५ अनुसूचित जातियां
६ अनारक्षित
७ अनुसूचित जातियां
८ अनारक्षित
९ अनुसूचित जातियां
१० अनारक्षित
११ अनुसूचित जातियां
१२ अनारक्षित
१३ अनुसूचित जातियां
१४ अनारक्षित
१५ अनुसूचित जातियां
१६ अनारक्षित
१७ अनुसूचित जातियां
१८ अनारक्षित
१९ अनुसूचित जातियां
२० अनारक्षित
२१ अनुसूचित जातियां
२२ अनारक्षित
२३ अनुसूचित जातियां
२४ अनारक्षित
२५ अनुसूचित जातियां

अनुसूचित जातियां—४२ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियां—८ प्रतिशत
अनुसूचित जातियां—२१

अनुसूचित जातियां—१०
अनुसूचित जन-जातियां—४०

- १ अनुसूचित जन-जातियां
२ अनारक्षित

- ४५ अनुसूचित जातियां
४६ अनारक्षित
४७ अनुसूचित जन-जातियां
४८ अनारक्षित
४९ अनुसूचित जातियां
५० अनारक्षित

मुंनेर

अनुसूचित जातियां—२३
अनुसूचित जन-जातियां—२

- २६ अनारक्षित
२७ अनुसूचित जन-जाति
२८ अनारक्षित
२९ अनुसूचित जातियां
३० अनारक्षित
३१ अनुसूचित जातियां
३२ अनारक्षित
३३ अनुसूचित जातियां
३४ अनारक्षित
३५ अनुसूचित जातियां
३६ अनारक्षित
३७ अनुसूचित जातियां
३८ अनारक्षित
३९ अनुसूचित जातियां
४० अनारक्षित
४१ अनुसूचित जातियां
४२ अनारक्षित
४३ अनुसूचित जातियां
४४ अनारक्षित
४५ अनुसूचित जातियां
४६ अनारक्षित
४७ अनुसूचित जातियां
४८ अनारक्षित
४९ अनुसूचित जातियां
५० अनारक्षित

भागलपुर

अनुसूचित जन-जातियां—४
पूणिया के समान रोस्टर।

संताल परगना

अनुसूचित जातियां—५
अनुसूचित जन-जातियां—२०

- ३ अनुसूचित जातियां
४ अनारक्षित

- ४१ अनुसूचित जनजातियाँ
 ४२ अनारक्षित
 ४३ अनुसूचित जातियाँ
 ४४ अनारक्षित
 ४५ अनुसूचित जनजातियाँ

- ४६ अनारक्षित
 ४७ अनुसूचित जनजातियाँ
 ४८ अनारक्षित
 ४९ अनुसूचित जनजातियाँ
 ५० अनारक्षित

हजारीबाग जिला

अनुसूचित जातियाँ—२८ प्रतिशत
 अनुसूचित जनजातियाँ—२२ प्रतिशत

- १ अनुसूचित जातियाँ
 २ अनारक्षित
 ३ अनुसूचित जनजातियाँ
 ४ अनारक्षित
 ५ अनुसूचित जातियाँ
 ६ अनारक्षित
 ७ अनुसूचित जातियाँ
 ८ अनारक्षित
 ९ अनुसूचित जनजातियाँ
 १० अनारक्षित
 ११ अनुसूचित जातियाँ
 १२ अनारक्षित
 १३ अनुसूचित जनजातियाँ
 १४ अनारक्षित
 १५ अनुसूचित जातियाँ
 १६ अनारक्षित
 १७ अनुसूचित जनजातियाँ
 १८ अनुसूचित जातियाँ
 १९ अनुसूचित जनजातियाँ
 २० अनारक्षित
 २१ अनुसूचित जातियाँ
 २२ अनारक्षित
 २३ अनुसूचित जनजातियाँ
 २४ अनारक्षित
 २५ अनुसूचित जातियाँ

अनुसूचित जातियाँ—१४
 अनुसूचित जनजातियाँ—११

- २६ अनारक्षित
 २७ अनुसूचित जनजातियाँ
 २८ अनारक्षित
 २९ अनुसूचित जनजातियाँ
 ३० अनारक्षित
 ३१ अनुसूचित जातियाँ
 ३२ अनारक्षित
 ३३ अनुसूचित जनजातियाँ
 ३४ अनारक्षित
 ३५ अनुसूचित जातियाँ
 ३६ अनारक्षित
 ३७ अनुसूचित जातियाँ
 ३८ अनारक्षित
 ३९ अनुसूचित जनजातियाँ
 ४० अनारक्षित
 ४१ अनुसूचित जातियाँ
 ४२ अनारक्षित
 ४३ अनुसूचित जनजातियाँ
 ४४ अनारक्षित
 ४५ अनुसूचित जातियाँ
 ४६ अनारक्षित
 ४७ अनुसूचित जनजातियाँ
 ४८ अनारक्षित
 ४९ अनुसूचित जनजातियाँ
 ५० अनारक्षित

गिरिडीह

अनुसूचित जातियाँ—२८ प्रतिशत
 अनुसूचित जनजातियाँ—२२ प्रतिशत
 अनुसूचित जातियाँ—१४

अनुसूचित जनजातियाँ—११
 हजारीबाग के रोलर के समान ।

रांची

अनुसूचित जातियाँ—५ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—४१ प्रतिशत

अनुसूचित जातियाँ—२ १/२ अर्थात् ३
अनुसूचित जन-जातियाँ—२२ १/४ अर्थात् २२

- १ अनुसूचित जन-जातियाँ
- २ अनारक्षित
- ३ अनुसूचित जातियाँ
- ४ अनारक्षित
- ५ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ६ अनारक्षित
- ७ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ८ अनारक्षित
- ९ अनुसूचित जन-जातियाँ
- १० अनारक्षित
- ११ अनुसूचित जन-जातियाँ
- १२ अनारक्षित
- १३ अनुसूचित जन-जातियाँ
- १४ अनारक्षित
- १५ अनुसूचित जन-जातियाँ
- १६ अनारक्षित
- १७ अनुसूचित जन-जातियाँ
- १८ अनारक्षित
- १९ अनुसूचित जन-जातियाँ
- २० अनारक्षित
- २१ अनुसूचित जन-जातियाँ
- २२ अनारक्षित
- २३ अनुसूचित जातियाँ
- २४ अनारक्षित
- २५ अनुसूचित जन-जातियाँ

- २६ अनारक्षित
- २७ अनुसूचित जन-जातियाँ
- २८ अनारक्षित
- २९ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ३० अनारक्षित
- ३१ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ३२ अनारक्षित
- ३३ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ३४ अनारक्षित
- ३५ अनुसूचित जातियाँ
- ३६ अनारक्षित
- ३७ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ३८ अनारक्षित
- ३९ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ४० अनारक्षित
- ४१ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ४२ अनारक्षित
- ४३ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ४४ अनारक्षित
- ४५ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ४६ अनारक्षित
- ४७ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ४८ अनारक्षित
- ४९ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ५० अनारक्षित

पलामू

अनुसूचित जातियाँ—२८ प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—२२
अनुसूचित जातियाँ—१४

अनुसूचित जन-जातियाँ—११
हजारीबाग के समान रोस्टर।

धनबाद

अनुसूचित जातियाँ—३० प्रतिशत
अनुसूचित जन-जातियाँ—२० प्रतिशत
अनुसूचित जातियाँ—१५

अनुसूचित जन-जातियाँ—१०
भागलपुर प्रमण्डल के समान रोस्टर।

सिंहभूम

अनुसूचित जातियाँ — ४ प्रतिशत

अनुसूचित जन-जातियाँ — ४६ प्रतिशत

- १ अनुसूचित जन-जातियाँ
- २ अनारक्षित
- ३ अनुसूचित जातियाँ
- ४ अनारक्षित
- ५ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ६ अनारक्षित
- ७ अनुसूचित जन जातियाँ
- ८ अनारक्षित
- ९ अनुसूचित जन जातियाँ
- १० अनारक्षित
- ११ अनुसूचित जन-जातियाँ
- १२ अनारक्षित
- १३ अनुसूचित जन-जातियाँ
- १४ अनारक्षित
- १५ अनुसूचित जन-जातियाँ
- १६ अनारक्षित
- १७ अनुसूचित जन-जातियाँ
- १८ अनारक्षित
- १९ अनुसूचित जन-जातियाँ
- २० अनारक्षित
- २१ अनुसूचित जन-जातियाँ
- २२ अनारक्षित
- २३ अनुसूचित जातियाँ
- २४ अनारक्षित
- २५ अनुसूचित जन-जातियाँ

अनुसूचित जातियाँ - २

अनुसूचित जन-जातियाँ - २३

- २६ अनारक्षित
- २७ अनुसूचित जन-जातियाँ
- २८ अनारक्षित
- २९ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ३० अनारक्षित
- ३१ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ३२ अनारक्षित
- ३३ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ३४ अनारक्षित
- ३५ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ३६ अनारक्षित
- ३७ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ३८ अनारक्षित
- ३९ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ४० अनारक्षित
- ४१ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ४२ अनारक्षित
- ४३ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ४४ अनारक्षित
- ४५ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ४६ अनारक्षित
- ४७ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ४८ अनारक्षित
- ४९ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ५० अनारक्षित

बिवरणी (घ)

राज्य स्तर पर की जानीवाली नियुक्ति के लिए रोस्टर

श्रेणी १, २, ३ एवं ४ सेवाओं के लिए।

- १ अनुसूचित जातियाँ
- २ अनारक्षित
- ३ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ४-७ अनारक्षित
- ८ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ९-१२ अनारक्षित
- १३ अनुसूचित जन-जातियाँ
- १४ अनारक्षित
- १५ अनुसूचित जातियाँ
- १६-२१ अनारक्षित
- २२ अनुसूचित जातियाँ

- २३ अनुसूचित जन-जातियाँ
- २४-२८ अनारक्षित
- २९ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ३०-३२ अनारक्षित
- ३३ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ३४-३५ अनारक्षित
- ३६ अनुसूचित जातियाँ
- ३७-४२ अनारक्षित
- ४३ अनुसूचित जन-जातियाँ
- ४४ अनुसूचित जातियाँ
- ४५-५० अनारक्षित

१. हरेक प्रकार की भर्ती के लिए संलग्न परिशिष्ट में दिये गये कारण में एक अलग रोस्टर रखा जाय और उसके अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ बनाये गए प्रत्येक ग्रेड या सेवा अवकाश पद-समूह का उल्लेख किया जाए।

२. पदों की हरेक कोटि के अन्तर्गत अलग-अलग रोस्टर रखा जाए। एक स्थायी और स्थायी होनेवाली या अनिश्चित अवधि तक चलनेवाली अस्थायी नियुक्तियों के लिए और दूसरा, नितांत अस्थायी पदों के लिए।

३. नियुक्ति हो जाने के तुरन्त बाद नियुक्त व्यक्ति का विवरण रजिस्टर के उपयुक्त स्तम्भों में प्रविष्ट किया जायेगा और प्रविष्टि के पास नियुक्ति प्राधिकारी या इसके लिए प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा।

४. रोस्टर पूरा करने में कोई खाली स्थान न छोड़ा जाए। उदाहरणार्थ, यदि १५वें बिन्दु पर किसी 'आरक्षित' रिक्ति को अनुसूचित जाति के उपयुक्त उम्मीदवार के अभाव में अनारक्षित मान लिया जाय, तो वस्तुतः नियुक्त उम्मीदवार को उस बिन्दु के सामने ही दिखलाया जायेगा। किसी अनारक्षित बिन्दु के सामने वर्ष के बाद में भर्ती किए गए किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार को ऐसे बिन्दु के सामने ही दिखलाया जायेगा।

५. रोस्टर एक चालू खाता के रूप में वर्ष-वर्ष का रखा जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी वर्ष कमिक भर्ती के छोटे बिन्दु पर भर्ती तक जाए तो वह अगले वर्ष बिन्दु ७ से शुरू होगी।

६. यदि कोई पद पहले अस्थायी हो और बाद में स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया जाय, तो उसे भर्ती के प्रारम्भिक बिन्दु के अनुसार आरक्षित या अनारक्षित माना जाए। दूसरे शब्दों में यदि कोई अस्थायी पद बाद में स्थायी पद में परिवर्तित हो जाए तो उसे ऐसे परिवर्तन के बाद रोस्टर में पुनः नहीं दिखलाया जाए।

२९ कामिक—१९